(57)

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
जिला–रायपुर

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 27/2/21

**क्रमांक एफ 10–1/2020/16 :: योजना का उद्देश्यः–** श्रम विभाग के छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एवं छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में निर्माण/असंगठित श्रमिकों का पंजीयन तथा पंजीकृत श्रमिकों को मंडल द्वारा संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा शासन द्वारा समय–समय पर श्रमिक हित में किये गये निर्णयों से श्रमिकों को अवगत करवाना।

(2) **योजना के प्रावधानः–**

(i) योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में से श्रम मित्र मनोनीत किये जायेंगे एवं उन्हें विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान किया जावेगा।

(ii) मनोनीत श्रम मित्रों द्वारा निर्माण श्रमिकों के पंजीयन/योजनाओं के लाभ हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने एवं उसकी स्वीकृति होने पर प्रति आवेदन 50 रूपये प्रोत्साहन राशि मंडल द्वारा दिया जाएगा। श्रम मित्र को देय प्रोत्साहन राशि किसी भी माह में रूपये 5,000 रूपये से अधिक नहीं होगी।

(iii) श्रम मित्रों के कार्य में मार्गदर्शन, समन्वय तथा उनके द्वारा प्राप्त आवेदनों के सत्यापन हेतु संयोजक नियुक्त किए जाएंगे एवं उन्हें विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान किया जावेगा।

(iv) संयोजकों द्वारा श्रम मित्रों से निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु एवं विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने हेतु प्राप्त आवेदनों के सत्यापन, ऑनलाईन अग्रेषित किये जाने तथा उसकी अभिस्वीकृति होने पर प्रति आवेदन 15/–रूपये प्रोत्साहन राशि छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा दिया जावेगा संयोजक को देय प्रोत्साहन राशि किसी भी माह में रू 7,500/– से अधिक नहीं होगीं।

(3) **योजना का विवरणः–**

(i) प्रत्येक विकासखण्ड को एक यूनिट मानते हुये 5 श्रम मित्र एवं 1 संयोजक मनोनीत किये जायेंगे।

(ii) प्रत्येक नगर पालिका तथा नगर पंचायत को एक–एक यूनिट मानते हुये प्रत्येक नगर पालिका तथा नगर पंचायत में 5–5 श्रम मित्र मनोनीत किये जायेंगे।



Scanned with CamScanner

98

(iii) प्रत्येक नगर निगम के 12 वार्डो का एक यूनिट बनाया जाकर प्रत्येक यूनिट के लिए 5 श्रम मित्र एवं 1 संयोजक मनोनीत किये जायेंगे।

(iv) प्रत्येक श्रम मित्र का कार्य आबंटन एक निश्चित क्षेत्रवार किया जावेगा उक्त क्षेत्र अंतर्गत ही श्रम मित्र श्रमिक पंजीयन एवं योजना के क्रियान्वयन संबंधी कार्य करेंगे।

(v) मण्डल के कार्यों की दृष्टि से आवश्यक प्रतीत होने पर विकासखण्ड, नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगमों में श्रम मित्रों एवं संयोजक की संख्या में माननीय श्रम मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, के अनुमोदन से कमी अथा वृद्धि की जा सकेगी।

(vi) प्रत्येक 05 श्रम मित्र में से कम से कम 01(एक) महिला श्रमिक नियुक्त किए जाएंगे।

**(4) श्रम मित्र एवं संयाजकों का चयनः—**

माननीय श्रम मंत्री/माननीय अध्यक्ष छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल/जिला कलेक्टर/सचिव छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल/जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा श्रम मित्रों एवं संयोजकों के चयन हेतु प्रस्तावित सूची को अनुशंसा सहित श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाएगा। माननीय श्रम मंत्री छ0ग0 शासन के अनुमोदन पश्चात् श्रम मित्रों एवं संयोजकों के मनोनयन की अंतिम सूची श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी की जावेगी।

**(5) श्रम मित्रों के दायित्व/कर्तव्यः—**

(i) निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु एवं पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को योजना का लाभ प्रदान करवाने हेतु आवेदन अपने विशिष्ट पहचान संख्या के साथ निकटतम CSC केन्द्रों में करवायेंगे।

(ii) श्रम विभाग की योजनाओं का क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना।

(iii) श्रमायुक्त/सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल/जिला श्रम अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त द्वारा श्रमिकों के हितों के लिए दिए गए अन्य कोई भी दायित्व।

**(6) संयोजक के दायित्व/कर्तव्यः—**

(i) श्रम मित्रों के कार्य में मार्गदर्शन, समन्वय।

(ii) श्रम मित्रों द्वारा पंजीयन/योजनाओं के करवाये गये अवेदनों की प्रकिया एवं पात्रता का समय–समय पर सत्यापन की कार्यवाही।

(iii) संयोजकों, श्रम मित्रों के कार्यों की निगरानी रखेंगे, मार्गदर्शन देंगे तथा उनके कार्यो की रिपोर्टिंग भी विभाग को करेंगे।



Scanned with CamScanner

(99)

(iv) मंडल के योजनाओं के कियान्वयन एवं प्रचार–प्रसार में सहयोग करेंगे एवं कियान्वयन एवं आने वाली व्यवहारिक समस्याओं से विभाग को अवगत करायेंगे।

(v) संयोजकों उनके दायित्वों के निर्वहन हेतु एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदाय की जावेगी।

**(7) संयोजक/श्रम मित्र को मानदेय का वितरण:–**

प्रत्येक संयोजक/श्रम मित्र को विभाग द्वारा प्रदत्त आई0डी के माध्यम से इनके द्वारा किये गये कार्य (सफल पंजीयन/स्वीकृत योजना के आवेदनों की संख्या) के आधार पर जिला श्रम कार्यालयों से प्रेषित बजट मांग पर छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा जिला श्रम कार्यालयों को बजट आबंटित किया जावेगा। संयोजक/श्रम मित्रों की कार्य के आधार पर मानदेय राशि संबंधितों के खाते में जिला श्रम कार्यालय द्वारा आर.टी.जी.एस के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

**(8) श्रम मित्र तथा संयोजक को दायित्वों से मुक्त किया जाना:–**

(i) श्रम मित्र एवं संयोजक का कार्य संतोषप्रद नहीं होने/कार्य में निष्क्रियता अथवा लापरवाही एवं कार्यों से संबंधी शिकायत/गंभीर शिकायत की स्थिति में सचिव छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल/जिला कलेक्टर/जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी की अनुशंसा के आधार पर माननीय श्रम मंत्री छ0ग0 शासन के अनुमोदन पश्चात् श्रम मित्रों एवं संयोजकों का मनोनयन समाप्त किया जा सकेगा।

**(9) विसंगति का निराकरण:–**

(i) योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

27/02

(डॉ0 रेणुका श्रीवास्तव)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

- 198 -

D: Netam sir 2019-20 adhisuchana doc

Scanned with CamScanner

(100)

पृष्ठांकन एफ 10–1/2020/16 नया रायपुर, दिनांक 27/02/2021

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
3. कलेक्टर जिला..........................................................................(छ0ग0)।
4. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
5. समस्त उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी, कार्यालय श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
6. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी, जिला–.......................................................(छ0ग0)।
7. संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
8. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्द्रावती भवन के पीछे, नया रायपुर (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित। कृपया राजपत्र की 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

Scanned with CamScanner

# छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक–A एकात्म पथ,सेक्टर–24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)

ईमेल– secretaryboc@gmail.com, phone No. 7701-2971063


## //संशोधित अधिसूचना//

अटल नगर,जिला रायपुर, दिनांक 22/06/2020

कमांक 106 /36/02/04/योजना/बीओसी/2019/2020/ "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्र0/104/36/ 02/04/योजना/बीओसी/2019 दिनांक 07. 02.2020 द्वारा जारी **"श्रम मित्र योजना"** में निम्नानुसार **आंशिक संशोधन** अंतः स्थापित करती है–

### (3) योजना का विवरण :–

(iv) मण्डल के कार्यों की दृष्टि से आवश्यक प्रतीत होने पर विकासखण्ड, नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगमों में श्रम मित्रों की संख्या में मंडल के अध्यक्ष के अनुमोदन से कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी, के स्थान पर निम्नांकित अंतः स्थापित किया जाता है–

**मण्डल के कार्यों की दृष्टि से आवश्यक प्रतीत होने पर विकासखण्ड, नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगमों में श्रम मित्रों की संख्या में माननीय श्रम मंत्री छत्तीसगढ शासन के अनुमोदन से कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी।**

### (4) श्रम मित्रों का चयन :–

जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा श्रम मित्रों का चयन किया जाकर चयनित सूची को अनुशंसा सहित छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को प्रेषित् किया जाएगा। माननीय श्रम मंत्री के अनुमोदन पश्चात् श्रम मित्रों के मनोनयन की अंतिम सूची सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा जारी की जावेगी, के स्थान पर निम्नांकित अंतः स्थापित किया जाता है–

**माननीय श्रम मंत्री/श्रमायुक्त/जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा श्रम मित्रों का चयन किया जाकर चयनित सूची को अनुशंसा सहित छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को प्रेषित् किया जाएगा। माननीय श्रम मंत्री छत्तीसगढ शासन के अनुमोदन पश्चात् श्रम मित्रों के मनोनयन की अंतिम सूची सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा जारी की जावेगी।**

निरंतर........2

## (6) श्रम मित्र को दायित्व से मुक्त किया जाना :–

श्रम मित्र का कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी की अनुशंसा के आधार पर माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अनुमोदन पश्चात् उनका मनोनयन समाप्त किया जा सकेगा, के स्थान पर निम्नांकित अंतः स्थापित किया जाता है–

**श्रम मित्र का कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में माननीय श्रम मंत्री छ0ग शासन के अनुमोदन पश्चात् श्रम मित्रों का मनोनयन समाप्त किया जा सकेगा।**

**(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।)**

उक्त संशोधन अधिसूचना दिनांक 07.02.2020 से लागू होंगे।

**(छ.ग. शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)**

22/06/2020

**(राजेश कुमार पात्रे)**
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृ0क्रमांक/36/02/04/योजना/बीओसी/2019/2020/1560 – 1575 अटल नगर, दिनांक 22/06/2020
प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (श्रम विभाग) मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, व्दितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
5. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल इन्द्रावती भवन, व्दितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
6. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
7. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
8. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।

निरंतर...............3

9. समस्त जिला कलेक्टर, ..............................................................(छ0ग0)।

10. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय ..............................................................................(छ0ग0)।

11. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ..............................................................................(छ0ग0)।

12. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

13. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित् कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

14. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।

15. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर **तत्काल** वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।

16. गार्ड फाईल।

22/06/2020

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

# छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक–A एकात्म पथ,सेक्टर–24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)

ईमेल-- secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063


## / /अधिसूचना/ /

नवा रायपुर अटल नगर,दिनांक ...07/02/2020

कमांक.....104..... / 36 / 02 / 04 / योजना / बीओसी / 2019 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद् द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित **"श्रम मित्र योजना"** में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार अधिसूचना जारी करती है :–

### (1) योजना का उद्देश्य :–

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में निर्माण श्रमिकों का पंजीयन तथा पंजीकृत श्रमिकों को मंडल द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ सरलता एवं सुगमता पूर्वक उपलब्ध करवाना तथा योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना।

### (2) योजना के प्रावधान :–

(i) योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में से श्रम मित्र मनोनीत किये जायेंगे।

(ii) मनोनीत 5 श्रम मित्रों में अनिवार्यतः 2 महिला होंगी।

(iii) मनोनीत श्रम मित्रों द्वारा निर्माण श्रमिकों के पंजीयन/योजनाओं के लाभ हेतु भरवाये जाने एवं उसकी स्वीकृति होने पर प्रति आवेदन 10 रूपये प्रोत्साहन राशि मंडल द्वारा दिया जाएगा। श्रम मित्र को देय प्रोत्साहन राशि किसी भी माह में रूपये 5,000 रूपये से अधिक नहीं होगी।

(iv) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

### (3) योजना का विवरण :–

(i) प्रत्येक विकासखण्ड को एक यूनिट मानते हुये 5 श्रम मित्र मनोनीत किये जायेंगे।

(ii) प्रत्येक नगर पालिका तथा नगर पंचायत को एक–एक यूनिट मानते हुये प्रत्येक नगर पालिका तथा नगर पंचायत में 5–5 श्रम मित्र मनोनीत किये जायेंगे।

(iii) प्रत्येक नगर निगम के 12 वार्डों का एक यूनिट बनाया जाकर प्रत्येक यूनिट के लिए 5 श्रम मित्र मनोनीत किये जायेंगे।

निरंतर.........2

(iv) मण्डल के कार्यों की दृष्टि से आवश्यक प्रतीत होने पर विकासखण्ड, नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगमों में श्रम मित्रों की संख्या में मण्डल के अध्यक्ष के अनुमोदन से कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी।

**(4) श्रम मित्रों का चयन :–**

जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा श्रम मित्रों का चयन किया जाकर चयनित सूची को अनुशंसा सहित छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को प्रेषित् किया जाएगा। माननीय श्रम मंत्री के अनुमोदन पश्चात् श्रम मित्रों के मनोनयन की अंतिम सूची सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा जारी की जावेगी।

**(5) श्रम मित्रों के कर्तव्य :–**

(i) निर्माण श्रमिकों से संपर्क कर, उनके पंजीयन तथा पंजीयन के पश्चात् मंडल द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का लाभ नियमानुसार उन्हें दिलाये जाने हेतु निकट के च्वाईस सेंटर/ श्रम सुविधा केन्द्र/ जिला श्रम कार्यालयों में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करवाया जाना।

(ii) छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजनाओं का क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना।

**(6) श्रम मित्र को दायित्व से मुक्त किया जाना :–**

श्रम मित्र का कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी की अनुशंसा के आधार पर माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अनुमोदन पश्चात् उनका मनोनयन समाप्त किया जा सकेगा।

**(7) विसंगति का निराकरण :–**

योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की विसंगति उत्पन्न होने की स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

**उक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।**

**(छ.ग. शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)**

(डी0पी0तिवारी)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

निरंतर.........3

पृ0क्रमांक / 36 / 02 / 04 / योजना / बीओसी / 2019 332-346 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 07/02/2020
प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (श्रम विभाग) मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, व्दितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
5. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल इन्द्रावती भवन, व्दितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
6. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31 / 520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
7. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
8. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
9. समस्त जिला कलेक्टर, ................................................................(छ0ग0)।
10. समस्त सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय ...................................................................................(छ0ग0)।
11. समस्त उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ...................................................................................(छ0ग0)।
12. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
13. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित् कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
14. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
15. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर **तत्काल** वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

# छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

पता– ऑफिस कॉम्पलेक्स, प्रथम तल ब्लॉक–A, एकात्म पथ, सेक्टर–24, अटल नगर रायपुर (छ.ग.)
ईमेल– secretaryboc@gmail.com, **phone No. 0771-2971063**

क्रमांक / 03 / योजनाशाखा / बीओसी / 2019 / 6994 रायपुर, दिनांक – 13/02/2019

प्रति,

**समस्त**
**सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी**
**छत्तीसगढ**

**विषयः– श्रम मित्रों एवं संयोजकों का मनोनयन समाप्त करने के संबध में सूचना।**

—000—

विषयांतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित श्रम मित्र योजना के अंतर्गत पूर्व में मान0 जिला प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से प्रदेश के विभिन्न विकासखण्डों, नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं तथा नगर निगमों में श्रम मित्र एवं संयोजक मनोनीत किये गये थे। छत्तीसगढ शासन,सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश कमांक– एफ 10–20 / 2018 / एक / 1 अटल नगर रायपुर दिनांक–20.12.2018 के परिप्रेक्ष्य में उक्त मनोनीत सभी श्रम मित्रों एवं संयोजकों का मनोनयन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

**(मान0अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)**

**(एस0एल0जांगड़े)**
**सचिव**
**छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार**
**कल्याण मण्डल, अटल नगर, रायपुर**

क्रमांक / 03 / योजनाशाखा / बीओसी / 2019 / 6995–7000 रायपुर, दिनांक – 13/02/2019

**प्रतिलिपिः–**

01. निज सहायक मान. मंत्री जी छत्तीसगढ शासन श्रम विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर जिला रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
02. सचिव महोदय,छत्तीसगढ शासन श्रम विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर जिला रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
03. श्रमायुक्त छत्तीसगढ इंद्रावती भवन अटल नगर जिला रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
04. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ की ओर सूचनार्थ।
04. एन0आई0सी प्रभारी छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर श्रम विभाग /मंडल के वेबसाईट में अपलोड करने तथा पूर्व श्रम मित्रो / संयोजकों को जारी आई0डी तत्काल प्रभाव से ब्लाक किये जाने हेतु प्रेषित।
06. आदेश पत्रिका में संकलनार्थ।

**सचिव**
**छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार**
**कल्याण मण्डल, अटल नगर, रायपुर**

# छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

पी0 3सी0, 244–245, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर–27, नया रायपुर

## अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 20.04.2018

क्रमांक 63 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 40 दिनांक 21–12–2015 द्वारा जारी **"श्रम मित्र योजना"** में निम्नानुसार संशोधन अंतःस्थापित करती है–

2 **योजना का प्रावधान :–**

(i) योजना के तहत निर्माण श्रमिकों से पंजीयन/योजनाओं के आवेदन भरवाएं जाने पर प्रति आवेदन (पंजीयन तथा योजनाओं के लाभ) प्रोत्साहन भत्ता रूपये 50/– श्रम मित्र को मंडल द्वारा प्रदाय किया जावेगा, के पश्चात् निम्नांकित अंतःस्थापित किया जाता है–

**"किन्तु प्रत्येक माह में पंजीयन आवेदन हेतु अधिकतम राशि रूपये 2,500/– तथा योजना के आवेदन हेतु अधिकतम राशि रूपये 2,500/– अथवा जो, भी कम हो मंडल द्वारा प्रदाय किया जावेगा।"**

19/4/18

(पदुम सिंह एल्मा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर

पृष्ठांकन क्र. 3929

नया रायपुर, दिनांक 20.04.2018

**प्रतिलिपि** :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
2. श्रमायुक्त सह विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय रायपुर (छ0ग0)
3. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)

4. कलेक्टर, जिला ........................................................ (छ0ग0)
5. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/ ..................................(छ0ग0) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
6. लेखा शाखा, बीओसी, मुख्यालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
7. एनआईसी, बीओसी, मुख्यालय, नया रायपुर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है, कि उक्त अधिसूचना को मंडल के वेबसाईट में अपलोड करें।
8. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

19/4/18

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर

# छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

पी0 3सी0, 244–245, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर–27, नया रायपुर

## अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 21/12/15

क्रमांक 40 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्ते विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत मंडल में पंजीयन एवं योजनाओं के कियान्वयन हेतु " **श्रम मित्र योजना**" निम्नानुसार बनाती है :–

1 **योजना का उद्देश्य :–**

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में निर्माण श्रमिकों का पंजीयन तथा मंडल द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पंजीकृत श्रमिकों को सरल एवं सुगमता पूर्वक उपलब्ध करवाना तथा संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करवाना ।

2 **योजना का प्रावधान :–**

(i) योजना के तहत निर्माण श्रमिकों से पंजीयन/योजनाओं के आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत करवाने पर प्रति आवेदन (पंजीयन तथा योजनाओं के लाभ) प्रोत्साहन भत्ता रूपये 50/– श्रम मित्र को मंडल द्वारा प्रदाय किया जावेगा।

(iii) श्रम मित्रों के कार्य में मार्गदर्शन तथा समन्वय के लिये संयोजक नियुक्त किये जायेंगे जिन्हें कोई मानदेय देय नहीं होगा ।

(iv) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे ।

3 **योजना का विवरण :–**

(i) विकासखण्ड तथा नगर निगम क्षेत्र, नगर पालिका क्षेत्र एवं, नगर पंचायत क्षेत्र हेतु निर्मित युनिट में 5–5 श्रम मित्र पंजीकृत निर्माण श्रमिक में से ही नियुक्त किये जायेंगे ।

(ii) 05 श्रम मित्र में से कम से कम 02 महिला श्रमिक होंगे

(iii) नगर निगमों में 12 वार्डों का एक समुह (यूनिट) बनाया जाकर प्रत्येक समुह (यूनिट) में 5–5 श्रम मित्र नियुक्त किये जायेंगे । जिसमें से 3 पुरूष एवं 2 महिला होंगे ।

(iV) प्रत्येक विकासखण्ड को एक यूनिट मानते हुये प्रत्येक विकासखण्ड में 5–5 श्रम मित्र नियुक्त किये जायेंगे ।

(V) प्रत्येक नगर पालिका एवं नगर पंचायत को एक यूनिट मानते हुये प्रत्येक नगर पालिका मे 5 श्रम मित्र नियुक्त किये जायेंगे, जिसमें से 3 पुरूष एवं 2 महिला होंगे ।

(Vi) श्रम मित्रों के कार्यों पर समन्वय तथा मार्गदर्शन हेतु संयोजक नियुक्ति किये जायेंगे ।

(vii) प्रत्येक यूनिट में 2 से 3 संयोजक नियुक्त किये जायेंगे, जिनमें से एक महिला होंगे । संयोजक को किसी प्रकार के मानदेय प्राप्त नहीं होगी।

4 श्रम मित्र एवं संयोजकों के चयन

(i) श्रम मित्रों के चयन हेतु जिला श्रम अधिकारी के द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत श्रमिकों से आवेदन प्राप्त कर एक पैनल तैयार जिला कलेक्टर को प्रेषित किया जावेगा । कलेक्टर की अनुशंसा के आधार पर जिला के प्रभारी मंत्री के द्वारा श्रम मित्रों का चयन किया जावेगा ।

(ii)(क) शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका, एवं नगर पंचायतों के आयुक्त/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा समाज सेवा, श्रम कानून, पर्यावरणविद तथा निर्माण कार्य के जानकार व्यक्तियों का पैनल जिला कलेक्टरों को प्रेषित किया जायेगा । कलेक्टर की अनुशंसा के आधार पर जिला के प्रभारी मंत्री के द्वारा संयोजकों क चयन किया जावेगा ।

(ख) विकासखण्ड स्तर पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा अपने क्षेत्र में समाज, श्रम कानून, पर्यावरणविद तथा निर्माण कार्य के जानकार व्यक्तियों का पैनल जिला कलेक्टरों को प्रेषित किया जायेगा । कलेक्टर की

अनुशंसा के आधार पर जिला के प्रभारी मंत्री के द्वारा संयोजकों का मनोनयन किया जायेगा ।

5 **श्रम मित्र का कृत्य**

1 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन हेतु निकट के च्वाईस सेंटर/ श्रम सुविधा केन्द्र/जिला श्रम कार्यालयों में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करवाना ।

2 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु निकट के च्वाईस सेंटर/ श्रम सुविधा केन्द्र/जिला श्रम कार्यालयों में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करवाना ।

3 छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा समय–समय पर प्रारंभ की जाने वाली नवीन योजनाओं एवं पूर्व से ही संचालित योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना ।

4 मृत्यु पश्चात् दावा प्रकरण के आवेदन भरवाकर जिला श्रम कार्यालयों में जमा करवाना ।

5 अटल पेंशन योजना में शामिल होने वाले 18 से 40 वर्ष तक वाले इच्छुक पंजीकृत श्रमिकों का आवेदन भरवाकर जिला श्रम कार्यालयों जमा करवाना तथा उनकी प्रीमियम की राशि उपलब्धता सुनिश्चित करवाना ।

6 **संयोजक का दायित्व**

(i) संयोजक श्रम मित्र के कार्यवाही की निगरानी रखेंगे तथा मार्गदर्शन देंगे ।

(ii) संयोजक श्रम मित्रों को पंजीयन एवं योजनाओं के आवेदन संकलन करने तथा योजनाओं का प्रचार–प्रसार करने हेतु प्रेरित करेंगे ।

(iii) मण्डल के योजनाओं के कियान्चयन एवं प्रचार–प्रसार में सहयोग करेंगे एवं कियान्वयन एवं आने वाली व्यावहारिक समस्याओं से विभाग को अवगत करायेंगे ।

7 **श्रम मित्रों तथा संयोजक को दायित्वों से मुक्त किया जाना ।**

1 कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर जिला कलेक्टर की अनुशंसार पर जिला प्रभारी मंत्री द्वारा श्रम मित्रों तथा संयोजक को उनके दायित्वों से मुक्त किया जा सकेगा ।

**विसंगति का निराकरण–**

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

हस्ता/- 21/XII/2015

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर
नया रायपुर, दिनांक 21/12/15

पृष्ठांकन क्र....10821

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग,मंत्रालय,रायपुर
3. सचिव सह श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय रायपुर (छ0ग0)
4. अध्यक्ष, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल,रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
6. कलेक्टर, जिला .................................................... (छ0ग0)
7. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)
8. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/ ...............(छ0ग0)
9. उप संचालक/प्रभारी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .......... (छ0ग0)
10. उप संचालक भाासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

हस्ता/- 21/XII/2015

**सचिव**
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर